सं. 31011/5/2015-स्था.(क-1V)

भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग
स्थापना क-1V डेस्क

****

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
दिनांक : 31 अक्तूबर, 2017

कार्यालय ज्ञापन

विषय : किसी सरकारी कर्मचारी के आश्रित परिवार के सदस्यों के संबंध में अवकाश यात्रा रियायत (एलटीसी) पर मुख्यालय की यात्रा के संबंध में स्पष्टीकरण।

अधोहस्ताक्षरी को इस विभाग के दिनांक 08.05.1987 के का.ज्ञा.सं. 31011/14/86-स्था-क-1V का संदर्भ दने का निदेश हुआ है जो अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान करता है कि कोई सरकारी कर्मचारी और उसके परिवार के सदस्य स्वतंत्र रूप से एलटीसी का दावा (क्लेम) कर सकते हैं, तथापि, ऐसे मामलों में प्रतिपूर्ति परिवार द्वारा यात्रा की गई वास्तविक दूरी अथवा सरकारी कर्मचारी के मुख्यालय/तैनाती स्थान तथा यात्रा किए गए स्थान/गृह नगर के मध्य की दूरी, जो भी कम हो, तक ही सीमित होगी।

2. मुख्यालय/तैनाती के स्थान से दूरी तक की प्रतिपूर्ति के प्रतिबंध से ऐसी असामान्य स्थिति उत्पन्न होती है, जहां कोई सरकारी कर्मचारी अपने परिवार के सदस्यों के संबंध में या तो सरकारी कर्मचारी के गृह नगर या किसी अन्य स्थान से मुख्यालय/तैनाती के स्थान के लिए एलटीसी का लाभ उठाना चाहता है। उदाहरण के लिए, किसी सरकारी कर्मचारी (दिल्ली में तैनात) की आश्रित संतान मुंबई में रह रही है तथा वहां अध्ययनरत है, वह सरकारी कर्मचारी के पास उसके मुख्यालय/तैनाती स्थान (अर्थात् दिल्ली) तक एलटीसी पर यात्रा कर सकती है, तथापि, ऐसे मामलों में प्रतिपूर्ति मुख्यालय तथा यात्रा किए गए स्थान (जो इस मामले में मुख्यालय ही है) के मध्य की दूरी के लिए लागू होगी, जो कि इस मामले में शून्य होगी।

3. ऐसे मुद्दे का समाधान करने के लिए इस विभाग द्वारा इस मामले पर संयुक्त परामर्शदायी तंत्र कर्मचारी पक्ष तथा व्यय विभाग के परामर्श से विचार किया गया। यह स्पष्ट किया जाता है कि सरकारी कर्मचारी की पात्रता के अनुसार, उसके परिवार के सदस्यों द्वारा भारत के किसी भी स्थान से सरकारी कर्मचारी के मुख्यालय/तैनाती के स्थान तक तथा वापसी के लिए एलटीसी पर की गई यात्रा (यात्राओं) के लिए संपूर्ण प्रतिपूर्ति की अनुमति होगी। जब ऐसी यात्रा गृह नगर से की जाती है तो एलटीसी की गणना 'गृह नगर' एलटीसी के लिए तथा भारत के किसी अन्य स्थान से यात्रा के मामले में इसकी गणना 'भारत में किसी स्थान' की एलटीसी के लिए की जाएगी।

5. इस कार्यालय ज्ञापन (पैरा 3) के प्रावधान भविष्यलक्षी प्रभाव से लागू होंगे।

(सूर्य नारायण झा)
अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,
सचिव
भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग
(मानक सूची के अनुसार)

प्रतिलिपि :-

1. भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक, नई दिल्ली ।
2. संघ लोक सेवा आयोग।
3. केंद्रीय सतर्कता आयोग, नई दिल्ली।
4. केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, नई दिल्ली।
5. संसद पुस्तकालय, नई दिल्ली ।
6. सभी संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन।
7. लोक सभा/राज्य सभा सचिवालय।
8. कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के अधीन सभी संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालय ।
9. एनआईसी, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, इस का.ज्ञा. को इस विभाग की वेबसाईट (का.ज्ञा./आदेश << स्थापना << एलटीसी नियम) पर अपलोड करें।